# संकट में भी 7.8% जीडीपी ग्रोथ

### 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भरता को 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य से जोड़ते हुए कहा कि देश को इस दिशा में सामूहिक संकल्प के साथ आगे बढ़ना होगा. उन्होंने भरोसा जताया कि स्वदेशी और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देकर भारत स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होने तक युवा पीढ़ी के सामने विकसित राष्ट्र के रूप में खड़ा हो सकेगा. प्रधानमंत्री ने देश की मजबूत आर्थिक वृद्धि को लेकर उत्साह जताया, लेकिन साथ ही कहा कि भारत के भीतर कुछ लोग निराशा का माहौल बनाने में लगे हुए हैं. उन्होंने लोगों से सकारात्मक सोच के साथ देश की विकास यात्रा में योगदान देने का आह्वान किया.

- मोदी फिर बोले- जरूरत हो तो ही खरीदें सोना
- अथव्यवस्था उम्मीद से आगे हो रही मजबूत

**नई दिल्ली, 01 सितंबर.** भारत की अर्थव्यवस्था ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में 7.8 प्रतिशत की विकास दर दर्ज की है. इस प्रदर्शन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी जताई और इसे देश के बढ़ते आत्मविश्वास का संकेत बताया. उन्होंने कहा कि दुनिया कई तरह के संकटों से गुजर रही है, इसके बावजूद भारत की आर्थिक रफ्तार मजबूत बनी हुई है. प्रधानमंत्री ने इंस्टाग्राम पर साझा किए गए वीडियो संदेश में पहली तिमाही के जीडीपी आंकड़ों का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि देश ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है..

# पाकिस्तान में 125 साल पुराना हिंदू मंदिर ढहा

**नरोवाल, 1 सितंबर.** पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के नरोवाल जिले में 100 से 125 वर्ष पुराने हिंदू मंदिर के ढहने को लेकर विवाद गहरा गया है. सिराज गांव में स्थित यह प्राचीन धार्मिक स्थल करीब 1,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला हुआ था. अल्पसंख्यक संगठनों, स्थानीय लोगों और पाकिस्तान मसीहा मिल्लत पार्टी ने आरोप लगाया है कि मंदिर को जानबूझकर गिराया गया, ताकि उससे लगी जमीन को नजदीकी मदरसे के इस्तेमाल में शामिल किया जा सके. हालांकि, इवैक्यूई ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी राणा इफ्तिखार ने इन आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि पुराना ढांचा मूसलाधार बारिश के कारण गिरा.

# अमेरिका में दो भारतीय महिलाओं की नृशंस हत्या

- कैलिफोर्निया में वारदात, एक को गाड़ी से कुचला
- दूसरी महिला की चाकू मारकर की हत्या

**कैलिफोर्निया, 1 सितंबर. अमेरिका के कैलिफोर्निया में केरल की दो महिलाओं की मौत के मामले ने सनसनी फैला दी है. मिलपिटास स्थित एक अपार्टमेंट परिसर में हुई.**

मृतकों की पहचान केरल के त्रिशूर की 35 वर्षीय अंजना हरि और तिरुवनंतपुरम की 40 वर्षीय ऐन मैरी मैथ्यू के रूप में हुई है. मामले में पुलिस ने 32 वर्षीय एक महिला को हिरासत में लिया है, जो दोनों महिलाओं को जानती थी. हिट एंड रन की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस को महिला गंभीर रूप से घायल मिली थी. पुलिस ने तत्काल जांच शुरू कर गाड़ी को नजदीकी पार्किंग स्थल से बरामद कर, चालक को गिरफ्तार कर लिया. दूसरी महिला ऐन मैरी मैथ्यू के बारे में बताया गया कि उन पर मिल क्रीक अपार्टमेंट्स परिसर के एक अपार्टमेंट के अंदर चाकू से हमला किया गया था. परिजनों ने हिरासत में ली गई महिला की पहचान अनिला के रूप में की है, जो केरल की रहने वाली है.

## एक नजर में

### सार्वजनिक जगहों पर थूका तो 100 रुपये जुर्माना

**कोलकाता, 01 सितंबर (एजेंसी).** पश्चिम बंगाल सरकार ने मंगलवार को शहरी निकायों में घरों से निकलने वाले कचरे को अलग-अलग करने की निगरानी के लिए एक क्यूआर-आधारित प्रणाली शुरू करते हुए लोगों से गीले और सूखे कचरे को घर पर ही अलग-अलग रखने तथा सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर 100 रुपये का जुर्माना लगाने की घोषणा की है. गौरतलब है कि इस पहल के तहत हर घर को एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, जिससे नगर निगम के कर्मचारी कचरा अलग करने के नियमों के पालन को रिकॉर्ड कर सकेंगे और वास्तविक समय में फीडबैक अपलोड कर सकेंगे. शहरी विकास और नगरपालिका मामलों (यूडीएमए) की मंत्री अग्निमित्रा पॉल द्वारा घोषित इस पहल के तहत खुले में शौच या पेशाब करने, कचरा फैलाने, अवैध रूप से कचरा फेंकने और प्रतिबंधित प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल या उन्हें साथ रखने पर 200 रुपये का डिजिटल स्पॉट फाइन लगाया जायेगा.

### चंडीगढ़-मोहाली बॉर्डर पर किसानों का धरना

**चंडीगढ़, 1 सितंबर (एजेंसी).** चंडीगढ़-मोहाली बॉर्डर पर किसानों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर धरना शुरू कर दिया है. मोहाली की तरफ गोल्फ क्लब के पास किसानों ने आईआईएसईआर-जगतपुरा सड़क पर पंडाल लगाकर धरना शुरू किया है. किसानों के मुताबिक, यह धरना मंगलवार से लेकर सात सितंबर तक चलेगा. धरने में बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के साथ पहुंचे हैं. करीब 1,000 ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के पहुंचने से बॉर्डर और आसपास के इलाकों में यातायात प्रभावित हुआ है. स्थिति को देखते हुए मोहाली और चंडीगढ़ पुलिस ने यातायात परामर्श जारी किया है.

### अन्ना की हालत स्थिर, गुर्दे में संक्रमण

**मुंबई, 1 सितंबर (एजेंसी).** महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के एक अस्पताल में सोमवार देर रात भर्ती कराए गए सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे (89) के स्वास्थ्य में मंगलवार को सुधार दर्ज किया गया. उनके एक सहयोगी ने बताया कि गुर्दे के संक्रमण की जानकारी सामने आने के बाद अब उनकी हालत में पहले से बेहतर है और वह ठीक हैं. अहिल्यानगर जिले के रालेगण सिद्धि स्थित अपने पैतृक गांव में प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें मुंबई के अस्पताल में स्थानांतरित किया गया था. पिछले पांच दिनों से उन्हें बुखार, कमजोरी, गुर्दे संबंधी समस्याएं और भूख न लगने की शिकायत थी. पहले

## कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति नीमच जिला नीमच (म.प्र.)

क्रमांक / मण्डी / तौलकांटा / 26-27/573 — नीमच, दिनांक 01.09.2026

**-:: बी.ओ.टी. तौलकांटा हेतु द्वितीय निविदा आमंत्रण सूचना ::-**

कृषि उपज मंडी समिति नीमच द्वारा उपमंडी प्रांगण जीरन में ई-टेण्डर प्रणाली के माध्यम से स्वयं के व्यय पर बिल्ट आपरेट एण्ड ट्रांसफर (बी.ओ.टी.) आधार पर 80 सह 10 मे. टन तौलकांटा स्थापना एवं संचालन हेतु वार्षिक प्रीमियम के आधार पर दिनांक 02.09.2026 समय 17:30 बजे से दिनांक 22.09.2026 को समय 17:30 बजे तक ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र एवं अन्य जानकारी ऑनलाईन पोर्टल http://mptenders.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। स्थापित किये जाने वाले तौलकांटा हेतु विवरण अग्रलिखित अनुसार है:-

| सिस्टम क्रमांक | इलेक्ट्रानिक तौल कांटा स्थापना का स्थान | तौलकांटे की क्षमता | न्यूनतम वार्षिक प्रीमियम / आपसेट (राशि रूपये) | धरोहर राशि | निविदा प्रपत्र की कीमत |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2026_MPSAM_532206_1 | उपमंडी प्रांगण, जीरन में 02 प्लेट युक्त तौलकांटा (80 सह 10 मे.टन) | 80 सह 10 मे. टन | 25000/- | 26100/- | 5000/- |

नोटः- आवश्यक होने पर उपरोक्त निविदा सूचना से सम्बंधित किसी भी प्रकार के संशोधन सूचना अथवा अन्य जानकारी केवल ऑनलाईन पोर्टल http://mptenders.gov.in पर ही प्रदर्शित किया जावेगा।

सचिव, कृषि उपज मंडी समिति नीमच, जिला - नीमच — भारसाधक अधिकारी, कृषि उपज मंडी समिति नीमच, जिला - नीमच

## शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: 501, सैलकॉन ऑरम, जसोला जिला केंद्र, नई दिल्ली - 110025, सीआईएन: U65900DL2020PLC366027

### कब्जे का नोटिस (अचल संपति के लिए) नियम 8(1)

जहाँकि अधोहस्ताक्षरी, शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, जो बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के अर्थ के अंतर्गत एक बैंकिंग कंपनी है, जिसका पंजीकृत कार्यालय 501, सालकॉन ऑरम, जसोला डिस्ट्रिक्ट सेंटर, नई दिल्ली झ 110025 तथा प्रधान कार्यालय तृतीय तल, ए.डी.डी. इंडिया टावर, सेक्टर 125, नोएडा झ 201303 में स्थित है, के प्रतिभूतिकरण और वित्तीय आस्तियों के पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (झसरफेसी अधिनियमझ) के अंतर्गत अधिकृत अधिकारी हैं तथा उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उधारकर्ता/उधारकताओं/संबंधित पक्षों को एक मांग सूचना जारी की गई थी, जिसके द्वारा उन्हें उक्त मांग सूचना में उल्लिखित राशि का भुगतान उक्त मांग सूचना प्राप्त होने की तारीख से 60 दिनों के भीतर करने के लिए कहा गया था।

नीचे उल्लिखित उधारकर्ता/उधारकताओं/गारंटर/गारंटरों/बंधककर्ता द्वारा उक्त राशि का भुगतान करने में विफल रहने के कारण, एतद्वारा उधारकर्ता/उधारकताओं/गारंटर/गारंटरों/बंधककर्ता तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के साथ पठित उक्त नियमों के नियम 8 के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे वर्णित संपत्तियों का सांकेतिक कब्जा ले लिया है।

उधारकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जो सुरक्षित परिसंपत्तियों को ऋणभार से मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समयावधि के संबंध में हैं।

नीचे उल्लिखित उधारकर्ता/उधारकताओं/गारंटर/गारंटरों/बंधककर्ता को विशेष रूप से तथा आम जनता को सामान्य रूप से एतद्वारा सावधान किया जाता है कि वे उक्त संपत्तियों के साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार न करें। उक्त संपत्तियों से संबंधित किसी भी प्रकार का लेन-देन शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के पक्ष में प्रभार के अधीन होगा, जिसमें अनुबंधित दर पर भविष्य में देय ब्याज तथा प्रतिस्थापन ब्याज, आकस्मिक व्यय, लागत एवं शुल्क आदि भी सम्मिलित होंगे।

| उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता का नाम | अचल संपत्तियों का विवरण | मांग सूचना की तारीख और राशि तथा कब्जे की सूचना की तारीख और खाता संख्या। |
|---|---|---|
| 1. श्री दशरथ धाकड़ पुत्र श्री छगनलाल धाकड़ (उधारकर्ता) मकान नंबर 154, ग्राम पाटोल्या, बरखेड़ा, तह. सदरपुर, जिला. धार, मध्य प्रदेश, 454111, 2. श्री छगनलाल धाकड़ पुत्र श्री भेरूलाल (सह-उधारकर्ता/बंधककर्ता) मकान नंबर 154, ग्राम पाटोल्या, बरखेड़ा, तह. सदरपुर, जिला. धार, मध्य प्रदेश, 454111, 3. श्रीमती ललिता पत्नी श्री छगनलाल धाकड़ (सह-उधारकर्ता/बंधककर्ता) मकान नंबर 154, ग्राम पाटोल्या, बरखेड़ा, तह। सदरपुर, जिला. धार, मध्य प्रदेश, 454111, | प्रॉपर्टी पर इक्विटेबल मॉर्गेजः 1830 वर्ग फुट (170 वर्ग मीटर) की रिहायशी प्रॉपर्टी। यह प्रॉपर्टी पीएच नंबर 15, वार्ड नंबर 03, हाउस नं.154, सर्वे नंबर 279, गाँव पटोल्या, ग्राम पंचायत पटोल्या, तहसील सादरपुर, ज़िला धार, म.प्र. 454111 में स्थित है। यह प्रॉपर्टी श्री छगनलाल धाकड़ पुत्र श्री भेरूलाल और श्रीमती ललिता (पत्नी श्री छगनलाल धाकड़) के नाम पर है। सीमाएँ: पूर्वः सार्वजनिक सड़क, पश्चिमः छगन की जमीन, उत्तरः अपना कच्चा घर, दक्षिणः छगन की जमीन। | डिमांड नोटिस की तारीखः- 19-06-2026 कब्जे के नोटिस की तारीखः 01-09-2026 बकाया राशिः 6,19,000/- (छह लाख उन्नीस हजार मात्र) लोन अकाउंट नंबर 103041545645 के तहत |
| 1. श्री महेश परमार पुत्र श्री उकारलाल (उधारकर्ता) मकान नंबर 290, वार्ड नंबर 14, अयोध्या बस्ती, ग्राम उन्हेल, जिला. उज्जैन, मध्य प्रदेश, 456221, 2. श्रीमती बबीता पत्नी श्री महेश परमार (सह-उधारकर्ता) मकान नंबर 290, वार्ड नंबर 14, अयोध्या बस्ती, ग्राम उन्हेल, जिला। उज्जैन, मध्य प्रदेश, 456221, 3. श्री उकारलाल पुत्र श्री पन्नालाल (सह-उधारकर्ता/बंधककर्ता) 2043, वार्ड नंबर 14, अयोध्या बस्ती, ग्राम उन्हेल, जिला। उज्जैन, मध्य प्रदेश, 456221, 4. श्रीमती कला बाई पत्नी श्री उकारलाल (सह-उधारकर्ता/बंधककर्ता) 2043, वार्ड नंबर 14, अयोध्या बस्ती, ग्राम उन्हेल, जिला। उज्जैन, मध्य प्रदेश, 456221 | प्रॉपर्टी पर इक्विटेबल मॉर्गेजः 600 वर्ग फुट (55.76 वर्ग मीटर) की रिहायशी प्रॉपर्टी; यह प्रॉपर्टी हाउस नंबर 290, वार्ड नंबर 14 (संजय गांधी), अयोध्या गली, उन्हेल, नगर पंचायत उन्हेल, तहसील- नागदा, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश, 456221 पर स्थित है। यह प्रॉपर्टी श्री उकारलाल पुत्र श्री पन्नालाल और श्रीमती कला बाई पत्नी श्री उकारलाल के नाम पर है। सीमाएँ: पूर्वः सत्यनारायण राठौर का घर, पश्चिमः हीरालाल जी का घर, उत्तरः खुली जमीन, दक्षिणः आम रास्ता। | डिमांड नोटिस की तारीखः- 19-06-2026 कब्जे के नोटिस की तारीखः 01-09-2026 बकाया राशिः रु. 9,41,000/- (नौ लाख इकतालीस हजार मात्र) लोन अकाउंट नंबर 103041543054 के तहत |

दिनांक : 01/09/2026, स्थानः नोएडा — अधिकृत अधिकारी, शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के लिए

## म.प्र. राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड, भोपाल

(कौशल विकास संचालनालय म.प्र.)

क्र./एमपीएसएसडीईजीबी/प्रवेश/2026/4881 — भोपाल, दिनांक : 31.08.2026

### विज्ञप्ति

**म.प्र. की आईटीआई में प्रवेश 2026 हेतु ''पहले आओ पहले पाओ'' राउण्ड की प्रवेश प्रक्रिया की जानकारी**

म.प्र. स्थित शासकीय एवं प्रायवेट आईटीआई में संचालित एनसीवीटी/एससीवीटी के पाठ्यक्रमों में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी विभाग के पोर्टल (www.dsd.mp.gov.in) पर ''प्रवेश रजिस्ट्रेशन 2026'' पर जाकर रजिस्ट्रेशन, च्वाईस फिलिंग एवं रजिस्ट्रेशन में त्रुटिसुधार हेतु निम्नानुसार कार्यवाही कर सकेंगे। अधिक जानकारी के लिये **www.dsd.mp.gov.in** पर देखें।

| स. क्र. | की जाने वाली कार्यवाही | दिनांक |
|---|---|---|
| 1. | ''पहले आओ पहले पाओ'' राउण्ड के अंतर्गत संस्थावार/ व्यवसायवार रिक्त सीटों की जानकारी पोर्टल पर प्रदर्शित करना। | 04.09.2026 |
| 2. | ''पहले आओ पहले पाओ'' राउण्ड<br>• नवीन रजिस्ट्रेशन/च्वाईस फिलिंग/त्रुटि सुधार हेतु पोर्टल प्रारंभ।<br>• केंडिडेट स्वेच्छा से किसी 01 आईटीआई के किसी 01 ट्रेड की च्वाईस फिलिंग कर सकेंगे।<br>• समस्त रजिस्टर्ड केंडिडेट को प्रवेश हेतु च्वाईस फिलिंग करना अनिवार्य है।<br>• च्वाईस लॉक करने के पश्चात संशोधन किया जाना संभव नहीं है। अत: केंडिडेट को सावधानी पूर्वक आईटीआई/व्यवसाय का चयन करना चाहिए।<br>• च्वाईस फिलिंग करने के पूर्व आईटीआई में व्यवसायवार रिक्त सीटों की संख्या अवश्य जांच कर लेवें।<br>• केंडिडेट को प्रवेश के लिए रु.50 का भुगतान कर च्वाईस लॉक करना होगा, तत्पश्चात अलॉटमेंट लेटर प्रिंट कर संबंधित आईटीआई में प्रवेश हेतु समस्त दस्तावेज की मूल प्रति एवं 02 सेट फोटोकॉपी सहित पहुँचकर वेरिफिकेशन उसी दिवस करवाना होगा।<br>• वेरिफिकेशन के पश्चात प्रवेश फीस का भुगतान कर प्रवेश स्लिप प्रिंट कर आईटीआई में जमा करना होगा।<br>• यदि केंडिडेट द्वारा उपरोक्त प्रक्रिया को पूर्ण नहीं किया जाता है तो उनका अलॉटमेंट संस्था द्वारा अगले कार्यालयीन दिवस में दोपहर 01 बजे के पश्चात निरस्त कर रिक्त सीट अनुसार अन्य आवेदक को प्रवेश दिया जा सकेगा। | 05.09.2026 से 07.09.2026 |

**आवेदकों के लिये महत्वपूर्ण जानकारियां निम्नानुसार हैं:-**

- आईटीआई में महिलाओं के लिये प्रशिक्षण शुल्क में 25 प्रतिशत की कमी की गई है।
- समस्त व्यवसायों में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों के लिये प्रवेश शुल्क को दो किश्तों में जमा करने का प्रावधान किया गया है।
- आईटीआई के विभिन्न ट्रेड में प्रवेश की अधिक जानकारी के लिये नजदीकी शासकीय आईटीआई के हेल्पडेस्क पर अवश्य संपर्क करें। आईटीआई में प्रवेश फार्म भरने की व्यवस्था भी उपलब्ध है।
- **आवेदकों को सूचित किया जाता है कि प्रवेश पोर्टल पर उपलब्ध रिक्त सीटों के किसी 01 आईटीआई के 01 व्यवसाय के लिये रु. 50/- भुगतान करके च्वाईस फिलिंग कर सकते हैं।**
- **प्रवेश पोर्टल पर किसी भी प्रकार की समस्या होने पर संपर्क करें - फोन नं.- 9220407724, 9220407725, 9220407726, ई-मेल– mpitisupport@gmail.com**

म.प्र. माध्यम/127836/2026 — मुख्य कार्यपालन अधिकारी

## ई-नीलामी सह बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना

IIFL होम फाइनेंस लिमिटेड (IIFL HFL) के कॉर्पोरेट कार्यालय, प्लॉट संख्या 98, उद्योग विहार, फेज-IV, गुरुग्राम-122015 (हरियाणा) और ब्रांच ऑफिस का पता:- मकान नंबर 176, स्कीम नंबर 97, स्लाइस-4, नर्मदा स्क्वायर के पास, गोपुर स्क्वायर के आगे, इंदौर - 452001, मध्य प्रदेश में प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय परिसंपत्तियों का पुनर्निर्माण एवं सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (इसके बाद "अधिनियम") के तहत गिरवी रखी गई अचल संपत्ति की बिक्री। जबकि IIFL-HFL के अधिकृत अधिकारी ("AO") ने निम्नलिखित ऋण खातों/संभावित खातों में अधिनियम की धारा 13(2) के तहत जारी नोटिस के अनुसार निम्नलिखित संपत्ति/संपत्तियों पर कब्जा कर लिया था। इस संपत्ति को "जैसी है, जहाँ है, जैसी है और बिना किसी अधिकार के" IIFL-HFL के बकाया की वसूली के लिए बेचने का अधिकार है। यह बिक्री अधोहस्ताक्षरी द्वारा वेबसाइट www.iiflonehome.com पर उपलब्ध ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जाएगी।

| उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर | मांग सूचना दिनांक और राशि | अचल संपत्ति/सुरक्षित परिसंपत्ति का विवरण | भौतिक कब्जे की तिथि | आरक्षित मूल्य |
|---|---|---|---|---|
| श्रीमती माधवी शिंदि श्री जीतेन्द्र शिंदि शिंदि ट्रेडर्स (प्रोस्पेक्ट नं. IL10419968) | 16/05/2025 रू. 37,15,722/- (सैंतीस लाख पंद्रह हजार सात सौ बाईस मात्र) | संपत्ति का वह पूरा हिस्सा जिसका विवरण इस प्रकार है: प्लॉट नं. 466, उत्तरी भाग, म्युनिसिपल शॉप नं. 11 (का हिस्सा), रोड नं. 27, वार्ड नं.29 (डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी) विजय नगर कॉलोनी, इंदौर, म.प्र.-452010। क्षेत्रफल (वर्ग फुट में): संपत्ति का प्रकार: बिल्ट-अप एरिया, कारपेट एरिया। संपत्ति का क्षेत्रफल: 550.00, 550.00 | 26/05/2026 | रू. 66,00,000/- (छियासठ लाख मात्र) |
| | बोली वृद्धि राशि रु. 50,000/- (पचास हजार मात्र) | | कुल बकाया राशि 10/08/2026 तक रु. 4497230.63/- (चवालीस लाख सन्तानवे हजार दो सौ तीस और तिरेसठ पैसे मात्र) | बयाना राशि जमा (EMD) रू. 6,60,000/- (छह लाख साठ हजार मात्र) |

| संपत्ति के निरीक्षण की तिथि | ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि | ई-नीलामी की तिथि/समय |
|---|---|---|
| 05.10.2026 11:00 बजे - 14:00 बजे | 07.10.2026 शाम 5 बजे तक। | 09.10.2026 11:00 बजे से 13:00 बजे तक |

भुगतान विधि:- EMD का पेमेंट सिर्फ ऑनलाइन ही किया जाना चाहिए। पेमेंट करने के लिए, https://www.iiflonehome.com पर जाएं और उस प्रॉपर्टी/सिक्योर्ड एसेट के लिए दिए गए खास लिंक का इस्तेमाल करें। ध्यान दें: पेमेंट लिंक हर प्रॉपर्टी/सिक्योर्ड एसेट के लिए अलग होता है। पक्का करें कि आप उसी प्रॉपर्टी/सिक्योर्ड एसेट के लिए लिंक का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसे आप पब्लिक ऑक्शन के जरिए खरीदना चाहते हैं। बाकी पेमेंट के लिए– https://www.iiflonehome.com > My Bid > Pay Balance Amount पर लॉग इन करें।

**नियम एवं शर्तें:-**

1. ई-नीलामी में भाग लेने के लिए, इच्छुक बोलीदाताओं को सेवा प्रदाता https://www.iiflonehome.com पर अपना विवरण पहले से पंजीकृत कराना होगा और लॉगिन खाता, लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाना होगा। इच्छुक बोलीदाताओं को अपना "निविदा प्रपत्र" अग्रिम जमा राशि के भुगतान विवरण, केवाईसी की प्रति और पैन कार्ड के साथ उपरोक्त शाखा कार्यालय में जमा/भेजना होगा।
2. बोलीदाताओं को "बोली वृद्धि राशि" कॉलम में उल्लिखित राशि के गुणज में अपनी बोली में सुधार करना होगा। यदि बोली नीलामी समाप्ति समय के अंतिम 5 मिनट में लगाई जाती है, तो समाप्ति समय स्वतः ही 5 मिनट के लिए बढ़ जाएगा।
3. सफल बोलीदाता को एओ द्वारा बोली मूल्य स्वीकार किए जाने के 24 घंटे के भीतर बोली राशि का 25% (ईएमडी समायोजित करने के बाद) और सुरक्षित लेनदार द्वारा बिक्री की पुष्टि की तारीख से 15 दिनों के भीतर बोली राशि का शेष 75% जमा करना होगा। सभी जमा और भुगतान निर्धारित भुगतान विधि से होंगे।
4. क्रेता को उपकर, लागू स्टाम्प शुल्क, फीस और अन्य वैधानिक बकाया या अन्य बकाया जैसे नगरपालिका कर, बिजली शुल्क, भूमि और संपत्ति से संबंधित सभी करों और दरों सहित अन्य सभी आकस्मिक लागतें, शुल्क वहन करने होंगे।
5. क्रेता को बिक्री राशि के लेन-देन/भुगतान पर टीडीएस आवेदन देना होगा और आईआईएफएल एचएफएल के पास टीडीएस प्रमाणपत्र जमा करना होगा।
6. बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे ई-नीलामी बिक्री कार्यवाही में भाग लेने के लिए अपनी बोलियाँ जमा करने से पहले नीलामी बिक्री के विस्तृत नियम और शर्तों और नीलामी आवेदन पत्र के लिए वेबसाइट https://www.iiflonehome.com और https://www.iifl.com/home-loans/properties-for-auction देखें।
7. ई-नीलामी संबंधी विस्तृत जानकारी, सहायता प्रक्रिया और ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए, संभावित बोलीदाता सेवा प्रदाता की ईमेल आईडी care@iiflonehome.com, सहायता हेल्पलाइन नंबर 1800 2672 499 पर संपर्क कर सकते हैं।
8. संपत्ति विवरण, संपत्ति के निरीक्षण और ऑनलाइन बोली आदि से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए, सोमवार से शुक्रवार के बीच सुबह 9:30 बजे से शाम 6:00 बजे तक IIFL HFL के टोल फ्री नंबर 1800 2672 499 पर कॉल करें या ईमेल care@iiflonehome.com पर लिखें।
9. उपरोक्त उधारकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि वे भौतिक कब्जा लेते समय सुरक्षित संपत्ति में पड़े घरेलू सामान को 7 दिनों के भीतर एकत्र कर लें, अन्यथा IIFL-HFL परिस्थितियों में संपत्ति के किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा।
10. इसके अतिरिक्त, ऋणी/ऋणियों को सूचित किया जाता है कि यदि वे उपरोक्त वस्तुएँ प्राप्त करने में विफल रहते हैं, तो उन्हें कानून के अनुसार बेच दिया जाएगा।
11. यदि सफल बोलीदाता/नीलामी क्रेता द्वारा उपरोक्त निर्धारित समय के भीतर किसी भी स्तर पर भुगतान में चूक की जाती है, तो बिक्री रद्द कर दी जाएगी और पहले से भुगतान की गई राशि (ईएमडी सहित) जब्त कर ली जाएगी और संपत्ति को फिर से बिक्री के लिए रखा जाएगा।
12. एओ बिना कोई कारण बताए निविदा/नीलामी के नियमों और शर्तों को स्थगित/रद्द या परिवर्तित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। निविदा/नीलामी में किसी भी विवाद की स्थिति में, आईआईएफएल-एचएफएल के एओ का निर्णय अंतिम होगा।

**SARFAESI एक्ट, 2002 के नियम 8 (6) के तहत बिक्री का कानूनी 30-दिन का नोटिस**

उधार लेने वाले को सूचित किया जाता है कि वह ऊपर बताई गई रकम, साथ ही अब तक का ब्याज और अन्य खर्च, टेंडर/नीलामी की तारीख से पहले चुका दे। ऐसा न करने पर प्रॉपर्टी की नीलामी/बिक्री कर दी जाएगी और अगर कोई बकाया रकम बचती है, तो उसे ब्याज और खर्चों सहित वसूल किया जाएगा।

स्थानः- इन्दौर, दिनांकः 02.09.2026 — एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी, आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड।

## कार्यालय नगर पालिक निगम, इन्दौर

प्रधान कार्यालय

क्रमांक : 3815/स्थापना/2026-27 — **विज्ञप्ति** — दिनांक: 31.08.2026

नगर पालिक निगम, इन्दौर में कार्यरत निम्न कर्मचारी की सेवा में रहते दिनांक 02/05/2025 को मृत्यु होने के उपरांत वारिस आश्रित सदस्य को नियमानुसार अनुकंपा नियुक्ति देने संबंधी प्राप्त प्रकरण की संक्षिप्त जानकारी निम्नानुसार है :-

| क्र. | मृतक कर्मचारी का नाम | मृतक कर्मचारी का पदनाम | मृतक कर्मचारी की मृत्यु पूर्व पदस्थापना | मृतक कर्मचारी के निवास का पता | आवेदक/आवेदिका का नाम जिसने अनुकंपा नियुक्ति हेतु आवेदन दिया है | मृतक के साथ आवेदक का संबंध |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | स्व बलिराम पिता बाबुलाल यादव | माली | उद्यान विभाग झोन क्रमांक 02 नगर पालिक निगम, इन्दौर | 82/3 न्यू राम नगर सांवेर रोड, इन्दौर | श्री विवेक पिता स्व बलिराम यादव | पुत्र |

उपरोक्तानुसार श्री विवेक पिता स्व बलिराम यादव वारिस / सदस्य द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति चाही गई होने से आवेदक की अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में किसी भी व्यक्ति को कोई भी आपत्ति हो तो वह इस विज्ञप्ति के प्रकाशन होने के दिनांक से 07 दिवस की अवधि में लिखित में आपत्ति (मूल दस्तावेजों के साथ) अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित समयावधि के पश्चात् किसी भी प्रकार की कोई भी आपत्ति मान्य नहीं होगी।

(अपर आयुक्त द्वारा अनुमोदित)

उपायुक्त (स्थापना)
नगर पालिक निगम, इन्दौर

## यूको बैंक UCO BANK

(भारत सरकार का उपक्रम)

आंचलिक कार्यालय: प्लाट नं. 28/29/30, एलआईसी बिल्डिंग, वेस्टसाईड के पीछे, विजय नगर, इन्दौर - 452010, फोन: 0731-2438300

### आधिपत्य हेतु सूचना पत्र अचल संपत्तियों के लिए नियम 8(1)

चूंकि, **यूको बैंक** के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002, की धारा 13(12) और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 का सपठित नियम 8 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रर्वतन करके निम्न ऋणगृहिताओं से सूचना प्राप्ति दिनांक से **60** दिनों के भीतर ऋण राशि अदा करने के अपेक्षा की गई थी। चूंकि ऋणगृहिताओं ने अदायगी में त्रुटी की है, अत: ऋणगृहिताओं तथा सर्वसाधारण जनता को एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि निम्न हस्ताक्षरकर्ता ने नीचे वर्णित संपत्तियों का आधिपत्य अधिनियम की धारा 13 (4) सपठित उपरोक्त नियमों के नियम 8 के अंतर्गत प्राप्त कर लिया है। ऋणगृहिताओं को विशेषत: और सर्वसाधारण को सतर्क किया जाता है कि इन संपत्तियों के संबंध में कोई संव्यवहार न करे, यदि कोई संव्यवहार किया गया तो वह **यूको बैंक** के ऋणगृहिताओं के समक्ष वर्णित राशि एवं ब्याज के चार्ज (प्रभार) के अधीन होगा ।

| क्रं. | शाखा का नाम | ऋणियों/जमानतदारों का नाम | सूचना दिनांक / धारण दिनांक | बकाया राशि (₹) | अचल संपत्तियों का विवरण |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | महारानी रोड शाखा, इन्दौर | श्री नरेश बनहानी पिता पेसूमल बनहानी (आवेदक), श्रीमती दीपा बनहानी पति श्री नरेश बनहानी (सह-आवेदक) और श्री विनोद कुमार बनहानी पिता पेसूमल बनहानी (जमानतदार) | 20.06.2026 / 01.09.2026 | 23,47,632.00 एवं 9,75,198.00 + ब्याज एवं अन्य खर्चे | आवासीय मकान संपत्ति का पता: फ्लेट नं. 202, साहाजंद अपार्टमेंट, 11, पलसीकर कालोनी, इंदौर में स्थित, जो कि **श्रीमान नरेश बनहानी पिता पेसुमल बनहानी एवं श्रीमती दीपा बनहानी पति नरेश बनहानी** के नाम से विक्रय विलेख क्रमांक MP179092022A1210797 दिनांक 28.02.2022, उप-पंजीयक, इंदौर के कार्यालय में पंजीकृत, के अनुसार। **चर्तु:सीमा: उत्तर:** लिफ्ट एवं पेसेज, **दक्षिण:** सरकारी गली/बालकनी, **पूर्व:** मकान नं. 12, **पश्चिम:** फ्लेट नं. 203 |

स्थान : इन्दौर, दिनांक : 02.09.2026 — प्राधिकृत अधिकारी, यूको बैंक

## सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया Central Bank of India

क्षेत्रीय कार्यालय: प्लाट नं. 160-161, पीयू-4, सी-21 माल के पीछे, स्कीम नं. 54, ए.बी. रोड, इन्दौर

### आधिपत्य की जाहिर सूचना (अचल/चल संपत्ति बाबत्)

**सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया** के निम्न हस्ताक्षरकर्ता प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (12) और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रवर्तन करके निम्न ऋणगृहिताओं से मांग सूचना की दिनांक से **60** दिन की समयावधि में ऋण राशि अदा करने की अपेक्षा की गई थी। चूंकि ऋणगृहिताओं ने अदायगी में त्रुटी की है अत: ऋणगृहिताओं एवं जमानतदारों तथा सर्वसाधारण जनता को एतद द्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने नीचे वर्णित सम्पति का आधिपत्य अधिनियम की धारा 13 (4) सपठित उपरोक्त नियमों के नियम 8 के अन्तर्गत दिनांक को सांकेतिक कब्जा प्राप्त कर लिया है ऋणगृहिताओं को विशेषत: तथा समस्त जनता को साधारणत: सतर्क किया जाता है कि इस सम्पत्ति के संबंध में कोई संव्यवहार न करें यदि कोई संव्यवहार किया गया तो वह **सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया** के ऋणगृहिताओं के समक्ष वर्णित राशि एवं ब्याज के चार्ज (प्रभार) के अधीन होगा ।

**अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों के अनुसार बंधक संपत्ति को मुक्त करने के बारे में उपलब्ध समय के संबंध में ऋणियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है।**

| क्रं. | ऋणियों/जमानतदारों के नाम | मांग सूचना दिनांक / धारण दिनांक | अचल संपत्तियों का विवरण | ₹ बकाया राशि |
|---|---|---|---|---|
| | | | क्लॉथ मार्केट शाखा, इन्दौर | |
| 1 | 1. मेसर्स द अनसीन हैंगर (प्रोप्राइटर श्री राज मेरवानी), 2. श्री राज मेरवानी (प्रोप्राइटर) | 18.05.26 / 27.08.26 | मेसर्स **मेसर्स द अनसीन हैंगर (प्रोप्राइटर श्री राज मेरवानी) के नाम पर** स्टॉक एवं बुक डेब्ट्स का बंधक | 16,51,505.00 + ब्याज एवं अन्य खर्चे - वसूली, अगर कोई |
| 2 | 1. मेसर्स एम्परर नॉन-वेज प्रोडक्ट्स (ऋणी), 2. सुश्री शहनाज बी पति मोहम्मद अजीज (पार्टनर एवं जमानतदार), 3. श्रीमती नुजहत कौसर खान पति जावेद अनवर खान (पार्टनर एवं जमानतदार) | 12.05.26 / 27.08.26 | **मेसर्स एम्परर नॉन-वेज प्रोडक्ट्स** के नाम पर स्टॉक एवं बुक डेब्ट्स का बंधक, बैंक द्वारा फायनेंस पर लिए गए मशीनरी एवं उपकरण: 1. कोल्ड स्टोरेज-2, 2. वाश, वेट एवं ड्राय मशीन-1, 3. कटींग मशीन-1, 4. वेक्युम मशीन-1, 5. एलईडी मशीन-1, 6. पैकिंग मशीन-1, 7. डीप फ्रीजर-1, **कुल - 7** | 34,58,363.54 + ब्याज एवं अन्य खर्चे - वसूली, अगर कोई |
| 3 | 1. मेसर्स मारुति पैकेजिंग (प्रोप्राइटर श्री जामीन मोहनभाई तारापरा) 2. श्री जामीन मोहनभाई तारापरा (प्रोप्राइटर) | 10.04.26 / 27.08.26 | **1. मेसर्स मारुति पैकेजिंग (प्रोप्राइटर श्री जामीन मोहनभाई तारापरा)** के नाम पर स्टॉक एवं बुक डेब्ट्स का बंधक, बैंक द्वारा फायनेंस पर लिए गए मशीनरी एवं उपकरण: **1.** Heavy duty oblique type high speed single face paper corrugating machine-1, **2.** Gear type sheet cutter with heavy duty PIV gear box counter-1, **3.** Heavy duty sheet pasting machine-1, **4.** Heavy duty 4 bar rotary creasing & cutting machine-1, **5.** Heavy duty eccentric slotter with 3 slotting heads-1, **6.** Heavy duty (Darshan) box stitching machine- 1, **7.** Heavy duty (Darshan box stitching machine with 0.5 HP motor)-1, **8.** Heavy duty single colour flexo paper printing machine-1, **9.** AC Drive and Heater control Panel-1, **Total - 9** | 98,54,601.22 + ब्याज एवं अन्य खर्चे - वसूली, अगर कोई |
| 4 | 1. मेसर्स शुभा एग्रो केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड (डायरेक्टर सुश्री मीना चौधरी एवं श्री कौशल चौधरी) 2. श्रीमती मीना चौधरी पति सुरेंद्र चौधरी (डायरेक्टर), 3. श्री कौशल चौधरी पिता सुरेंद्र चौधरी (डायरेक्टर), 4. श्री शंकर सिंह सेंगर पिता शिव सिंह सेंगर (जमानतदार), 5. श्रीमती तृप्ति सेंगर पति शंकर सिंह सेंगर (जमानतदार) | 30.04.26 / 01.09.26 | **अचल संपत्ति:** इण्डस्ट्रीयल प्लाट नं. डी-14, सेक्टर-डी, एमपीआईडीसी, ग्राम तेजपुर, जिला उज्जैन, **क्षेत्रफल: 800 वर्गमीटर, मालिक: मेसर्स शुभा एग्रो केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड (डायरेक्टर श्री शंकर सिंह सेंगर), चर्तु:सीमा: उत्तर:** प्लाट नं. डी-13, **दक्षिण:** प्लाट नं. डी-15, **पूर्व:** प्लाट नं. डी-09, **पश्चिम:** 18 मीटर सड़क **चल संपत्ति: 1. मेसर्स शुभा एग्रो केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड** के नाम पर स्टॉक एवं बुक, बैंक द्वारा फायनेंस पर लिए गए मशीनरी एवं उपकरण: **1.** Bottle Feeling Double Nojal 100 ML to 250 ML SS 304 Cover and Pump-1, **2.** Feeling Powder Machine cover disk or hopar-1 **3.** 1000 Ltr Liquid mixer contacting part SS 304 stend-1, **4.** Streping Machine 0.5 HP-1, **5.** Bottle Feeling Double Nojal 500 ML to 1000 ML SS 304 Cover and Pump-1, **6.** Bendsellar Machine-1, **7.** Printer Machine-1, **8.** 1000 Ltr mixinf tank mod by SS 316 sheet mixing gearbox 1hp-1, **9.** 100kg powder mixture contact part SS 316 MS stand gearbox and 3 HP electric single-1, **10.** Head semi-automatic filling machine 250 ml to 1 ltr contact part 316G MP model full SS covering-2, **11.** 200 kg capacity mod by SS316 steller 2 inchi water jacket MS stand 10 HP electric motor-1, **12.** Bahar-10 Cypermethrin-1, **13.** Kolwar-20 Chlorpyriphos 20%-1, **14.** Kolwar-20 Chlorpyriphos (50%) + Cypermethrin (5%)-1, **15.** Pro 404 Profenophos 40% + Cypermethrin 4%-1, **16.** Super Killer Emamectin 1.90%-1, **17.** Liquid mixing vessel 1000 Ltr Starring capacity with reduction gear box-1, **18.** Metal Sheets and Tank-1, **Total - 19** | 1,20,00,614.73 + ब्याज एवं अन्य खर्चे - वसूली, अगर कोई |
| 5 | 1. मेसर्स आईओ वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड (डायरेक्टर सुश्री जान्हवी कस्तूरी एवं सुश्री लिसा कस्तूरी) 2. सुश्री जान्हवी कस्तूरी पिता हरीश कुमार कस्तूरी (डायरेक्टर एवं जमानतदार), 3. सुश्री लिसा कस्तूरी पिता नितेश कुमार कस्तूरी (डायरेक्टर एवं जमानतदार) | 02.05.26 / 01.09.26 | **मेसर्स आईओ वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड (डायरेक्टर सुश्री जान्हवी कस्तूरी एवं सुश्री लिसा कस्तूरी)** के नाम पर स्टॉक एवं बुक, बैंक द्वारा फायनेंस पर लिए गए मशीनरी एवं उपकरण: **1.** चॉकलेट मॉलडिंग मशीन 400 मोल्ड के साथ-1, **2.** सेमी-ऑटोमेटिक पैकिंग मशीन-1, **कुल-2** | 1,97,22,597.53 + ब्याज एवं अन्य खर्चे - वसूली, अगर कोई |
| 6 | 1. मेसर्स सिद्धी विनायक इण्डस्ट्रीज (प्रोप्राईटर श्री प्रणव जायसवाल) 2. श्री प्रणव जायसाल पिता श्याम सुंदर जायसवाल (ऋणी) | 12.05.26 / 27.08.26 | स्टॉक एवं बुक डेब्ट्स का बंधक, बैंक द्वारा फायनेंस पर लिए गए मशीनरी एवं उपकरण: **1.** PE Coated Machine with Trailers Mounted (Three Phase)-1, **2.** High Speed Paper Cup Machine-1, **3.** Paper Cup Machine-1, **4.** Paper Cup Fully Automatic Complete Set-1, **5.** 45 MM PP Blown Film Machine-1, **Total-5** | 1,68,95,345.05 + ब्याज एवं अन्य खर्चे - वसूली, अगर कोई |

स्थान: इन्दौर, दिनांक: 02.09.2026 — प्राधिकृत अधिकारी, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया